भारत संघ और अन्य

बनाम

पिरथवी सिंह और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 4415-16 वर्ष 2018)

अप्रैल 24, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति]

न्यायिक पदावनति -भारत संघ द्वारा दायर तुच्छ या निष्फल मामले -बाध्यकारी उदाहरणों द्वारा पहले से ही सुलझाए गए मुद्दों से जुड़े मामले के लिए बड़ी संख्या में वकीलों की नियुक्ति - न्याय वितरण प्रणाली पर बोझ - भारत संघ द्वारा समान मामलों को खारिज करने के बाद भी मामलों को दाखिल करना - इसके अलावा, 10 वकील एक अपील के लिए एक बड़ी वित्तीय देनदारी बनाने में लगे हुए थे, जिसके भाग्य की कल्पना इसी तरह के मामलों में बर्खास्तगी के मौजूदा आदेशों के आधार पर आसानी से की जा सकती है - भारत संघ में न्याय वितरण प्रणाली के प्रति चिंता का अभाव, निंदा - एक लाख रुपये जुर्माने के साथ अपील खारिज। राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति, 2010 - का उद्देश्य, चर्चा की गई।

भारत संघ बनाम बलबीर सिंह टर्न 2017 (14) स्केल 189 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

2017 (14) स्केल 189 पैरा4 को संदर्भित करता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4415- 16 वर्ष 2018

चंडीमंदिर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ चंडीगढ़ के मूल आवेदन संख्या 2002 वर्ष 2011 में आरए संख्या 76 वर्ष 2015 और मूल आवेदन संख्या 2002 वर्ष 2011 में निर्णय और आदेश दिनांक 12.12.2011/एमए संख्या 17.04.2013 में एमए संख्या 1309-1310 में मूल आवेदन संख्या 2002 में वर्ष 2011 और समीक्षा आवेदन में आदेश दिनांक 03.09.2015 एमए संख्या 2475 वर्ष 2015 के विरुद्ध।

संदीप सेठी, एएसजी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, निखिल रोहतगी, शशांक खुराना, हिमांशु शकर, के. सुब्बा राव, ए. सुब्बा राव, सुश्री दिशा वैश्य, मुकेश कुमार मरोरिया अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर द्वारा सुनाया गया।

1. अपील हेतु अनुमति स्वीकृत की जाती है।

2. विलम्ब क्षमा किया गया।

3. मुकदमेबाजी के संबंध में, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में, भारत संघ का लापरवाह और ढुलमुल रवैया, कुछ हद तक आगे बढ़ गया है, जैसा कि इस मामले से पता चलता है।

4. भारत संघ ने अपीलों का एक समूह दायर किया था जिसे इस न्यायालय ने 8 दिसंबर, 2017 के एक फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। निर्णय को भारत संघ बनाम बलबीर सिंह टर्न के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. अपीलों के बैच को खारिज करने के बाद, भारत संघ ने उसी विषय पर सिविल अपील संख्या (रिक्त) वर्ष 2018 (डायरी संख्या 4893 वर्ष 2018) पर एक और अपील दायर की, जिसका शीर्षक भारत संघ और अन्य बनाम पूर्व एनके बलबीर सिंह था। वह अपील 9 मार्च, 2018 को इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई और बलबीर सिंह टर्न के फैसले के बाद खारिज कर दी गई। अपील को खारिज करते समय, यह नोट किया गया कि यह इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के कई मामलों को खारिज करने के बाद दायर किया गया था। इस न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा होने के बाद सिविल अपील/विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल करने में भारत संघ के आचरण की सराहना नहीं की गई। यह नोट किया गया कि भारत संघ को न्याय वितरण प्रणाली पर अनावश्यक रूप से बोझ बढ़ाने के लिए पूरी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत संघ कहीं अधिक सतर्क है, 1,00,000/- रुपये की लागत लगाई गई और यह देखा गया कि भारत संघ को अपनी मुकदमेबाजी नीति को आकार देना चाहिए। दुर्भाग्य से, भारतीय संघ ने कोई सबक नहीं सीखा और अपना असहयोगात्मक रवैया जारी रखा है।

7. वर्तमान अपील 8 मार्च, 2018 को दायर की गई थी, जो बलबीर सिंह टर्न मामले में निर्णय के ठीक बाद है। हमने इसकी अपेक्षा की होगी। बलबीर सिंह टर्न और पूर्व एनके बलबीर सिंह से संबंधित अपील को खारिज करने के साथ, भारत संघ इस अपील को इस न्यायालय की रजिस्ट्री से वापस लेने के लिए कदम उठाएगा ताकि यह सूचीबद्ध भी न हो और न्यायाधीशों पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े। लेकिन जाहिर तौर पर भारत संघ को ऐसी कोई चिंता नहीं है और उसने रजिस्ट्री से ही अपनी अपील वापस नहीं ली।

8. भारत संघ को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि निरर्थक या निरर्थक मामलों को आगे बढ़ाकर, वह इस न्यायालय के बोझ को बढ़ा रहा है और बड़ी संख्या में संख्या के माध्यम से उनके मामलों की सुनवाई में देरी करके अन्य वादियों को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि भारत संघ को न्याय वितरण प्रणाली की कोई परवाह नहीं है, तो उसे कम से कम वादकारियों के लिए कुछ चिंता प्रदर्शित करनी चाहिए, जिनमें से कई को सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी में एक छोटा सा पैसा खर्च करना पड़ता है।

9. 23 जून, 2010 को भारत संघ ने 'लंबित मामलों के औसत समय को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी मिशन' जारी किया और इस दस्तावेज़ को 'राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति' कहा जाता है। राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति का दृष्टिकोण/मिशन इस प्रकार है:

"1. राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार और इसकी विभिन्न एजेंसियां देश में अदालतों और न्यायाधिकरणों में प्रमुख मुकदमेबाज हैं। इसका उद्देश्य सरकार को एक कुशल और जिम्मेदार वादी में बदलना है। यह नीति इस मान्यता पर भी आधारित है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारी मुकदमे के संचालन के प्रभारी लोगों को इस मूल सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए"।

"कुशल वादी" का अर्थ है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मुकदमेबाजी में शामिल मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें स्पष्ट रूप से संबोधित करना। सुसंगत, समन्वित और समयबद्ध तरीके से मुकदमेबाजी का प्रबंधन और संचालन करना। यह सुनिश्चित करना कि अच्छे मामले जीते जाएं और बुरे मामले अनावश्यक रूप से न लटकाए जाएं। एक वादी जिसका प्रतिनिधित्व सक्षम और संवेदनशील कानूनी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है: अपने कौशल में सक्षम और तथ्यों के प्रति संवेदनशील कि सरकार कोई सामान्य वादी नहीं है और मुकदमे को किसी भी कीमत पर जीतने की ज़रूरत नहीं है।

"जिम्मेदार वादी" का अर्थ है।

मुकदमेबाजी के लिए मुकदमेबाजी का सहारा नहीं लिया जाएगा। झूठी दलीलों और तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और हतोत्साहित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि सही तथ्य और सभी प्रासंगिक दस्तावेज अदालत के समक्ष रखे जाएंगे। कि कोर्ट से कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा और किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जाएगी।

2. सरकार को एक बाध्यकारी वादी बनना बंद करना चाहिए। इस दर्शन को त्यागना होगा कि अंतिम निर्णय के लिए मामलों को अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आसान दृष्टिकोण, "अदालत को निर्णय लेने दें" से बचना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए।

3. इस नीति का उद्देश्य अदालतों में सरकारी मुकदमेबाजी को कम करना भी है ताकि अदालत का बहुमूल्य समय अन्य लंबित मामलों को सुलझाने में खर्च किया जा सके ताकि राष्ट्रीय कानूनी मिशन में औसत लंबित समय को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सरकार की ओर से वादकारियों को न्यायिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन में शामिल सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा जिसमें उन बाधाओं की पहचान करना शामिल है जिनसे सरकार और उसकी एजेंसियां चिंतित हो सकती हैं और अनावश्यक सरकारी मामलों को हटाना भी शामिल है। कल्याणकारी कानून, सामाजिक सुधार, कमजोर वर्गों और वरिष्ठ नागरिकों और सहायता की आवश्यकता वाली अन्य श्रेणियों पर विशेष जोर देकर मुकदमेबाजी में प्राथमिकता हासिल की जानी चाहिए। [हमारे द्वारा दिया गया जोर]।

10. राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति में किसी भी पवित्र बात का पालन नहीं किया गया है, जो न केवल भारत संघ की न्याय वितरण प्रणाली के प्रति चिंता की कमी को दर्शाता है, बल्कि इसकी अपनी राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति के प्रति भी बहुत कम सम्मान है।

11. न्याय विभाग की वेबसाइट से पता चलता है कि राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010 की समीक्षा की जा रही है और राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2015 का निर्माण विचाराधीन है। इसे कब अंतिम रूप दिया जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक कार्य योजना भी है जिसे 13 जून, 2017 को तैयार किया गया था।

12. पिछले लगभग 8 वर्षों से भारत संघ द्वारा कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और व्यापार करने में आसानी की आड़ में न्यायपालिका में सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। बूट सचमुच दूसरे पैर पर है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

13. दिलचस्प बात यह है कि कार्य योजना में अन्य बातों के अलावा, लंबित मामलों को कम करने के लिए दो दिलचस्प कदमों का भी उल्लेख किया गया है:

(i) अनावश्यक अपील दायर करने से बचें - नियमित मामलों में अपील दायर नहीं की जानी चाहिए - केवल उन मामलों में जहां कोई महत्वपूर्ण नीतिगत मामला हो।

(ii) कष्टप्रद मुकदमे को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

14. जहां तक इस अपील का संबंध है, इन लंबित मामलों को कम करने के कदमों (विशेषकर (ii) ऊपर) को आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया है।

15. मामले को बदतर बनाने के लिए, इस अपील में, भारत संघ ने 10 वकीलों को शामिल किया है, जिनमें एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और एक वरिष्ठ वकील शामिल हैं। यह इस न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंपी गई उपस्थिति पर्ची के अनुसार है। दूसरे शब्दों में, भारत संघ ने एक अपील के लिए इतने सारे वकीलों को नियुक्त करके एक बड़ी वित्तीय देनदारी बनाई है, जिसके भाग्य की कल्पना समान मामलों में बर्खास्तगी के मौजूदा आदेशों के आधार पर आसानी से की जा सकती है। फिर भी भारत संघ अपनी देनदारी बढ़ा रहा है और करदाताओं से दुस्साहस के लिए परिहार्य वित्तीय बोझ उठाने के लिए कह रहा है। क्या इस पर कोई विचार किया जा रहा है?

16. असली सवाल यह है: रिप वैन विंकलवाद कब रुकेगा और भारत संघ न्याय वितरण प्रणाली के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति कब जागेगा?

17. कम से कम कहने के लिए, यह तुच्छ मुकदमेबाजी के माध्यम से इस न्यायालय पर अनावश्यक और टालने योग्य बोझ डालने की एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो इस अपील को खारिज करते समय भारत संघ पर लागत लगाने के माध्यम से एक और अनुस्मारक की मांग करती है। हम आशा करते हैं कि किसी दिन एक यथार्थवादी और सार्थक राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति के निर्माण के संबंध में भारत संघ में कुछ समझदारी, यदि बेहतर समझ नहीं होगी, और जिसे वह 'व्यापार करने में आसानी' कहती है, जिसे अगर ईमानदारी से लागू किया जाए तो पूरे देश में वादकारियों को लाभ हो सकता है।

18. अपील को पहले की तरह 1,00,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज किया जाता है, जिसे किशोर न्याय के मुद्दों के उपयोग के लिए आज से चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के पास जमा करना होगा। लंबित एलए का भी निस्तारण किया जाता है।

19. पांच सप्ताह के बाद अनुपालन हेतु सूची।

देविका गुजराल अपील खारिज।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"